-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पत्नी व ससुर पर बांका से हमला करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त बांका बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पत्नी व ससुर पर धारदार हथियार से हमला करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 05/06.07.2025 की रात्रि को थाना कोतावाली नगर क्षेत्र के निलिमा विहार की रहने वाले आशुतोष वाजपेयी ने अपनी पत्नी प्रियंका व ससुर बिन्दू त्रिवेदी को धारदार हथियार(बांका) से सिर व चेहरे पर वार कर घायल कर दिया। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त बांका बरामद किया गया। नियमानुसार अभियुक्त को सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 बांका(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आशुतोष वाजपेयी पुत्र देवी किशोर वाजपेयी निवासी निलिमा बिहार कालोनी कालुकुआं थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 584/25 धारा 109/352/351(3) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री आशुतोष त्रिपाठी चौकी प्रभारी मण्डी समिति
2. कां0 अनुराग यादव
3. कां0 सागर यादव